

ब्याज उपादान दावा फार्म

परिशिष्ट 'ख'
बैंक द्वारा दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग
अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

बैंक का नाम

उद्यमी का नाम व पूरा पता

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
3070 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
.....

महोदय,

ब्याज उपादान प्रमाण पत्र संख्या दिनांक जो कि
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, द्वारा जारी किया जा रहा है। हम सुनिश्चित करते हैं कि टर्मलोन के
पक्ष में रूपया उपरोक्त उद्यमी को स्वीकृत किया गया है।

उक्त खाते/खातों पर ब्याज दर क्रमशः रूपया से वार्षिक है को स्वीकृत किया
गया है।

बिल का विवरण निम्नवत् है :-

ऋण धनराशि	ब्याज की धनराशि	उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 4 प्रतिशत दर पर धनराशि	बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतर धनराशि
कार्यशील पूंजी रूपया पूंजीगत ऋण रूपया			

हम प्रमाणित करते हैं कि ब्याज उपादान की धनराशि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/बैंक को इसके पूर्व प्राप्त हुई है।

अग्रिम रसीद

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ से धनराशि रूपया ब्याज उपादान दिनांक
..... से दिनांक तक श्री
के ऋण खाते में प्राप्त किया।

उद्यमी का हस्ताक्षर व पूरा नाम

शाखा प्रबन्धक